लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 072/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/302)	दायर दिनांक 30-09-2024	निर्णय दिनांक 23-10-2024

अनवान

राधेश्याम शर्मा पिता शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9660929361)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.08.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./072/2024(सू.अ.)(23.10.2024)/677 दिनांक 01.10.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 23.10.2024 अपील अपीलार्थी हाजिर रहे एवं लिखित अभिवचन प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपीलार्थी की और से जरिये डाक लिखित अभिवचन प्राप्त हुये है जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/ पीए/लोसूअ/2024/204 दिनांक 18.10.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री राधेश्याम शर्मा पिता शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9660929361) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/325 दिनांक 09.09.2024 से प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया दिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र वांछित सचूना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण में अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत लिखित अभिवचन का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/325 दिनांक 09.09.2024 से अपीलार्थी को आवेदन के संबंध में सूचित किया जा चुका है। इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों स्वीकार कर प्रति संलग्न की गई है। हमने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विनिश्चय से सहमत है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 से वांछित सूचना के अन्तर्गत वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण ऐसी सूचना जो जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है उसे प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 17.08.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.10.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)